

निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी उत्तराखण्ड



उत्तराखण्ड शासन

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005
के अधीन प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित सूचना

मैनुअल-4

23-लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून

अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा स्थापित मानदण्ड

पूर्व परम्परागत व्यवस्था के समय कृत्यों के निर्वहन के लिये शासनादेश निर्गत करते हुए मानक निर्धारित रहे हैं। परन्तु कार्य की प्रकृति एवं त्वरित निस्तारण के लिये आज के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आधारित कार्यपद्धति के फलस्वरूप संगठन में कार्मिकों की संख्या इसके अनुरूप रखे जाने की वर्तमान व्यवस्था के रहते मुख्यालय स्तर पर कृत्यों के निर्वहन के लिये सामान्य प्रकृति के प्रकरण तत्काल उसी दिन निस्तारित कर दिये जाने, विविध तकनीकी एवं उच्च अधिकारियों के विचारार्थ नियमयुक्त प्रकरणों के निस्तारण के लिये ऐसे प्रकरणों को कम से कम तीन दिन के अन्दर तथा नीतिगत अति विशिष्ट प्रकरणों एवं शासन द्वारा किसी विशेष विषयवस्तु पर अपेक्षित अभिमत से सम्बन्धित प्रकरणों पर यथासंभव विलम्बतम् एक सप्ताह में अवश्य निस्तारित कर दिये जाने की मानक प्रक्रिया अपनायी जा रही है।

कोषागार प्रभाग

शासनादेश संख्या एस-3-8981/दस-34(78)/78, टी0सी0, दिनांक 21 दिसम्बर, 1979 में कतिपय कार्यों का मापदण्ड निम्न प्रकार निर्धारित किया गया था-

(1) बिल पारण	75 बिल प्रति लेखाकार प्रति दिन
(2) बाउचर पोस्टिंग	225 वाउचर प्रति दिन प्रति सहायक लेखाकार
(3) रिसीट पोस्टिंग	125 चालन प्रति दिन प्रति सहायक लेखाकार
(4) सिविल पेंशन	50 पेंशन प्रति दिन प्रति लेखाकार
(5) रक्षा पेंशन	40 पेंशन प्रति दिन प्रति लेखाकार
(6) डिपाजिट	180 देयक प्रति दिन प्रति सहायक लेखाकार

निदेशालय के नियंत्रणाधीन प्रभागों में से कोषागार प्रभाग के जनपदीय कोषागारों में शतप्रतिशत रूप से कम्प्यूटर आधारित कार्य प्रणाली के तहत सुविकसित साफ्टवेयर के प्रयोग के फलस्वरूप कृत्यों के निर्वहन के लिये पूर्व व्यवस्था के अधीन निर्धारित मानक एवं कार्य के मापदण्ड का स्वरूप अब अधिक प्रासंगिक नहीं रह गया है। कोषागार के कार्यों हेतु वर्तमान में लागू शासनादेश सं0 3/XXVII(6)/2013 दिनांक 2 जनवरी 2013 तथा सं0 207/XXVII(6)/2013 दिनांक 05 अप्रैल 2013 के अनुसार भुगतान की प्रक्रिया ऑनलाइन है। देयकों को कोषागार स्तर पर अधिकतम प्राप्ति दिवस+2 कार्यदिवसों में निस्तारित किये जाने की व्यवस्था है, तथापि राजकीय भुगतानों को तत्काल किये जाने की शासन की नीति के क्रम में कोषागारों में प्राप्त देयकों को यथासंभव एक कार्यदिवस में किये जाने का प्रयास किया जाता है।

पेंशन अनुभाग

विभिन्न आहरण वितरण अधिकारियों के माध्यम से भौतिक एवं ऑनलाइन रूप से प्राप्त पेंशन प्रकरणों को जांचोपरांत यथासंभव सेवा का अधिकार अधिनियम अन्तर्गत निर्धारित अवधि- एक माह के भीतर निस्तारण किया जाता है।

राज्य वित्तीय डेटा सेंटर

राज्य में संचालित IFMS पोर्टल पर आने वाली तकनीकी समस्याओं के निराकरण हेतु टोल फ्री नम्बर 889989000 तथा ईमेल आई डी treas-fdc-uk@nic.in पर सहायता उपलब्ध करायी जाती है। प्राप्त शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु हैल्प डैस्क टीम द्वारा समयबद्ध रूप से निराकरण की कार्यवाही की जाती है। पोर्टल सम्बन्धी किसी समस्या के निराकरण हेतु पोर्टल पर उपलब्ध सपोर्ट की सुविधा भी उपलब्ध करायी गयी है।

अन्य अनुभाग

सामूहिक बीमा योजना, वेतन पर्ची एवं अन्य कार्यालयीय दायित्वों को यथासंभव शीघ्रता से निस्तारित किये जाने का प्रयास किया जाता है। विभाग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, सेवा का अधिकार अधिनियम तथा सी०एम० हैल्पलाइन 1905 पोर्टल पर प्राप्त प्रकरणों को निर्धारित समय से पूर्व ही निस्तारित किये जाने का प्रयास किया जाता है।